न्यायालय, राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ0 भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या : 01/2025 G.C.M.S. No. 2025/2 दर्ज दिनांक : 02.01.2025

अपीलार्थिगण:

1. ओखाराम पुत्र चेला
2. गणेशाराम पुत्र चेला, जातियान तमाम कलबी, निवासी डबाल, तहसील सांचौर, जिला जालोर।

बनाम

प्रत्यर्थिगण:

1. भला पुत्र वीरा के का.मु.—
   1/1 पुनमाराम पुत्र भला
   1/2 दुदाराम पुत्र भला
   1/3 होतीराम पुत्र भला
   1/4 राधादेवी पत्नि भला
2. पन्नाराम पुत्र वीरा
3. गणेशाराम पुत्र वीरा
4. रानी बेवा चेला के कायम मुकाम:—
   4/1 भुरी पुत्री चेला पत्नि भीयाराम जाति कलबी निवासी कमालपुरा तहसील सांचोर व जिला जालोर।
5. गोदा उर्फ गोवा के का.मु.—
   5/1 सजाराम पुत्र गोवा
   5/2 नेथा पुत्र गोवा
   5/3 अणदा पुत्र गोवा, जातियान तमाम कलबी, निवासी डबाल, तहसील सांचौर, जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर चितलवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 105/2014 बअनवान भला के का.मु. पूनमाराम वगैरह बनाम ओखाराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.08.2024 एवं प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963

पैरोकार—

1. श्री निखिल दवे, श्री गर्वित दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलांट।
2. श्री कमलेश सोनी, श्री प्रवीणकुमार चौहान, विद्वान अभिभाषक रेस्पोंडेंट।

निर्णय

दिनांक: 30.04.2026

अपीलान्ट की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध सहायक कलक्टर चितलवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 105/2014 बअनवान भला के का.मु. पूनमाराम वगैरह बनाम ओखाराम में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.08.2024 के विरूद्ध पेश की गई। प्रकरण संक्षेप में निम्नानुसार है–

यह कि हस्तगत प्रकरण में रेस्पोंडेन्ट स्वर्गीय भला, पना व गणेशा द्वारा अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद खातेदारी हक की घोषणा का इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा चितलवाना में स्थित आराजी पूर्व खसरा नम्बर 835 रकबा 10 बिघा 7 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 841 रकबा 18 बीघा 19 बिस्वा भूमि हम वादीगण की पैतृक खातेदारी की है एवं हम वीराजी के उत्तराधिकारी है भला की मृत्यु होने पर उनके कायम मुकाम पुनमा, दुदाराम, होतीराम एवं राधा देवी को रैकर्ड पर लिया गया। खसरा नम्बर 835 के नये खसरा नम्बर 742 रकबा 1.67 हैक्टेर, खसरा नम्बर 841 के नवीन खसरा नम्बर 759 रकबा 3.07 हैक्टेर कायम किये गये एवं यह भी कथन किये कि खसरा नम्बर 841, 835 की भूमि हमारे पिता को रजिस्टर्ड विभाजन पत्र दिनांक 24/01/1980 को प्राप्त हुई है तथा हमे यह भी जानकारी मिली है कि चेलाजी की फौतगी पर उनके वारीसान के नाम दर्ज हुये है तथा हम अपनी भूमि अलग करवाना चाहते है कि इस कारण वर्तमान खसरा नम्बर 742 व 759 के खातेदार घोषित किया जावे। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद को निर्णित करने में बंटवाडा ईएक्स–पी1 को मुख्य आधार माना है। परन्तु बंटवाडें में अन्य आराजी जो अपीलान्टस को प्राप्त हुई उसके संबध में किसी प्रकार का विचार नहीं किया गया। वास्तविकता यह है कि सरहद मौजा कुडला में स्थित आराजी खसरा नम्बर 825 रकबा 30 बिघा 10 बिस्वा, एवं सरहद मौजा देवाड सुजानपुरा में स्थित आराजी खसरा नम्बर 610 रकबा 7 बीघा 4 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 841 रकबा 18 बिघा 19 बिस्वा सरहद मौजा चितलवाना एवं चितलवाना के ही खसरा नम्बर 835 रकबा 10 बिघा 7 बिस्वा को विभाजन में संयोजित किया गया था एवं उक्त विभाजन वीरा व चेला के मध्य हुआ था जिसके अनुसार खसरा नम्बर 825 व 610 की भूमि चेला के बंट में दी गई थीं। एवं खसरा नम्बर 835, 841 की भूमि वीरा के हिस्से में रखी गई थीं परन्तु उक्त बंटवाडें के आधार पर म्यूटेशन भरे ही नहीं गये एवं रिसेटलमेन्ट के दौरान उक्त आराजी संयुक्त रूप से दर्ज रही। इस कारण सुजानपुरा में स्थित आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 2265, 2266 व 2433 में चेला पुत्र पुरा के साथ वीरा पुत्र पुरा, गोवा पुत्र पुरा का भी 1/3 हिस्सा, 1/3 हिस्सा दर्ज किया गया। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष जब विभाजन का दस्तावेज मौजूद था तो सम्पूर्ण विभाजन में वर्णित आराजी का अवलोकन करते हुये एवं वर्तमान रेकर्ड का अवलोकन करते हुये निर्णय करना चाहिए था, जो नहीं किया गया। विभाजन मात्र सहखातेदारों के मध्य किया जा सकता है। प्रतिवादी संख्या 4 के वारीसान द्वारा जो जवाब दावा पेश किया गया है। उसमें स्पष्ट किया गया है कि खसरा नम्बर 841 की भूमि भला व चेला ने संयुक्त रूप से खरीद की

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

गई थीं। इस कारण उसके प्रत्येक का 1/2 हिस्सा बनता है। एवं खसरा नम्बर 835 की भूमि बीरा, गोवा, व चेला पीसरान पुरा की सामलाती भूमि होने से प्रत्येक का 1/3–1/3 हिस्सा बनता है। रेस्पोंडेन्ट वादीगण द्वारा प्रतिवादी अपीलान्ट के जवाब दावे का कोई खण्डन नहीं किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट्स को साक्ष्य पेश करने का पूरा अवसर नहीं दिया है। मात्र सात–सात रोज की पेशियां देकर समय पूरा करना दर्शाया है। इसके विपरीत वादीगण को लम्बा अवसर अपनी साक्ष्य पेश करने में दिया गया है जिससे अपीलान्ट्स न्याय से वंचित रहे हैं। चेला, वीरा एवं गोवा तीनो सगे भाई थें एवं संयुक्त खरीद सुदा आराजी खसरा नम्बर 835, चेला, वीरा, भला का प्रत्येक का 1/3 हिस्सा बनना चाहिये एवं खसरा नम्बर 841 की भूमि में जो मात्र चेला व वीरा द्वारा खरीद की गई हैं, उसमें 1/2 हिस्सा चेला का एवं 1/2 हिस्सा वीरा बनना चाहिए। गोवा उर्फ गोदा का कोई हिस्सा नहीं बनता है। रेस्पोंडेन्ट संख्या 1 से 3 ने लम्बी अवधि तक विभाजन के आधार पर म्यूटेशन नहीं भरवाने का एवं तस्मीम नहीं करवाने का कोई ठोस कारण नहीं दिया है। जिसके आधार पर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है एवं पुराने कब्जे के आधार पर भी माफिक कानून वाद डिक्री नहीं किया जा सकता। जिससे अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमावें।

म्याद के बिंदु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट्स व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया।

हमनें प्रकरण में विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी व उस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण का विस्तृत विवेचन व निर्णयन निम्नानुसार है–

1. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण रेस्पोंडेंट संख्या 1 से 3 द्वारा अपीलांट व दीगर रेस्पोंडेंट के विरूद्ध वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी अधिकारों की घोषणा बाबत वादपत्र प्रस्तुत किया। जिसे अधीनस्थ विचारण न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 29.08.2024 द्वारा स्वीकार किया गया। जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील दिनांक 02.01.2025 को विलंब के साथ प्रस्तुत की।
2. अपीलांट द्वारा विलंबकाल माफ करने के लिए धारा 5 परिसीमा अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मुख्य रूप से यह निवेदन किया कि अपीलांट्स के अधिवक्ता द्वारा अपीलांट्स को निर्णय व डिक्री की जानकारी नहीं दी गई तथा दिनांक 30.12.2024 को अपीलांट्स के वादग्रस्त आराजी पर जाने पर वहां रेस्पोंडेंट्स खड़े मिले तथा उन्होंनें कहा कि तुम्हारा कोई हक व अधिकार नहीं हैं। मैंने न्यायालय से बाला–बाला डिक्री

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

प्राप्त कर ली हैं। जिस पर नकल हेतु आवेदन कर दिनांक 30.12.2024 को नकल प्राप्त की। अतः विलंबकाल माफ फरमावें। विद्वान अधिवक्ता रेस्पोंडेंट द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के कथनों का खण्डन करते हुए अपील म्याद बाहर होने से खारिज करने का निवेदन किया।

3. हमारे विनम्र मत में चूंकि प्रकरण में दीर्घ विलंब निहित नहीं हैं तथा प्रकरण का निर्णयन कठोर, तकनीकी व प्रक्रियात्मक आधार पर नहीं किया जाकर गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। जिसके लिए उभयपक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। अतः विलंबकाल सद्भाविक होने से माफ किया जाकर अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती हैं।

4. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 14.09.2007 को वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी उपरांत जवाबदावा प्राप्त किया गया तथा दावा व जवाबदावा के आधार पर विवाद्यक विरचित किए गए एवं साक्ष्य उपरांत विवाद्यकवार विवेचन व निर्णयन के साथ अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई हैं। अतः प्रक्रियात्मक रूप से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में कोई त्रुटि होना साबित नहीं हैं।

5. वादपत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी द्वारा वादग्रस्त आराजी जरिये पंजीकृत बंटवाड़ा दिनांक 24.01.1980 द्वारा वादीगण के पिता वीराजी को प्राप्त होने, लेकिन इसका नामांतरण नहीं होने तथा वादग्रस्त आराजी प्रतिवादीगण के पिता के नाम दर्ज होने तथा पिता के फौत होने पर फौतेदगी से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होने से वादीगण का नाम दर्ज नहीं हुआ, के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष चाहा गया। जिसका प्रतिवादीगण द्वारा खण्डन किया गया।

6. पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श पी1 पंजीकृत दस्तावेज बाबत बंटवाड़ा जो उपपंजीयक सांचोर द्वारा दिनांक 24.01.1980 को पंजीकृत है, के अवलोकन से स्पष्ट है कि वीरा व चेला पि. पुरा जोकि वादग्रस्त आराजीयात के सहखातेदार थें, द्वारा यह निष्पादित किया। जिसके अनुसार वादग्रस्त आराजी ग्राम चितलवाना के खसरा संख्या 835 रकबा 10–07 बीघा व खसरा संख्या 841 रकबा 18–19 बीघा भूमि वीरा जोकि वादीगण के पिता है, के बंट में होना तथा ग्राम सुजानपुरा के खेत खसरा संख्या 825 एवं 610 की आराजी चेला के बंट में रखा जाना सहमति से निष्पादित किया गया। प्रदर्श पी4 मिलान क्षेत्रफल अनुसार पुराने खसरा संख्या 835 से नवीन खसरा संख्या 742 एवं खसरा संख्या 841 से नवीन खसरा संख्या 759 सृजित हुए। उक्त पंजीकृत बंटवाड़नामा के आधार पर वीरा का नाम वादग्रस्त आराजीयात में दर्ज नहीं हुआ। चूंकि पंजीबद्ध दस्तावेज को सक्षम न्यायालय से अपीलांट प्रतिवादीगण द्वारा शून्य घोषित नहीं करवाया गया है। ऐसी स्थिति में उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

दस्तावेज को विधिविरूद्ध या प्रभावशून्य नहीं माना जा सकता एवं विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य का भलीभांति विवेचन उपरांत विवाद्यकवार विवेचन करते हुए वादीगण को वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 742 एवं 759 का खातेदार अभिधारी घोषित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि साबित नहीं होती हैं।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर हमारा विनम्र मत है कि अपील अपीलांट बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने एवं अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होने अपील अपीलांट इसी स्तर खारिज किया जाना व अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की पुष्टि किया जाना पूर्णतया विधिसम्मत व उचित होगा।

आदेश

अतः निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बखूबी साबित नहीं होने व सारहीन होने से खारिज/अस्वीकार की जाती है तथा न्यायालय सहायक कलक्टर चितलवाना द्वारा राजस्व वाद संख्या 105/2014 बअनवान भला के का.मु. पूनमाराम वगैरह बनाम ओखाराम में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 29.08.2024 की पुष्टि की जाती हैं। निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्रेषित किया जावें। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित की जाकर बाद तकमील संख्या से एक कम होकर दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 30.04.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुहर के सर-ए-इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 भास्कर बिश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली